स्पीड पोस्ट द्वारा
निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली - 110 001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI - 110 001

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

फा0 सं0: 56/161/2013/रा0द0अनु0-I तारीख: 4 मार्च, 2014

सेवा में,

अध्यक्ष,
नव युवक दल,
ग्राम - टिकरा, पोस्ट - घुंघटेर,
तहसील - फतेहपुर, जिला - बाराबंकी,
उत्तर प्रदेश - 225302 ।

विषय:- "नव युवक दल"-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन राजनैतिक दल के रूप में रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

मुझे, यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत निर्वाचन आयोग ने "नव युवक दल" का राजनैतिक दल के रूप में रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आपके तारीख 17.09.2013 के आवेदन और उक्त आवेदन पत्र में विवरण/प्रकथन के समर्थन में प्रस्तुत कागजातों और दल के प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों द्वारा उक्त आवेदन के सम्बन्ध में तारीख 20.02.2014 को आयोग के समक्ष दी गई प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद तथा यह ध्यान में रख कर कि समाचार पत्रों में आवेदक द्वारा प्रकाशित पब्लिक नोटिस के जवाब में उक्त नाम से पार्टी के पंजीकरण पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 क के अधीन "नव युवक दल" को दिनांक 26.02.2014 से राजनैतिक दल के रूप में पंजीकृत कर लिया है।

2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क की उपधारा (9) में यथा उपबंधित दल अपने नाम, मुख्यालय, पदाधिकारी, पते या अन्य किसी तात्विक मामले में, यदि कोई हो तो, किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना आयोग को शीघ्र देगा । इस प्रकार के परिवर्तन की सूचना निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ भेजी जाएगी:-

(i) दल के संविधान में निर्धारित सक्षम समिति द्वारा पारित किए गए संकल्प तथा उस बैठक का सम्पूर्ण कार्यवृत जिसमें ऐसे परिवर्तन/संशोधन का निर्णय लिया गया है, कि एक प्रमाणित प्रति।
(ii) उपरोक्त बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों के नाम की सूची।
(iii) उपरोक्त बैठक में उपस्थिति रजिस्टर का उद्धरण (extract) जिसमें भाग लेने वाले सदस्यों के हस्ताक्षर हों, की एक प्रमाणित प्रति।

3. यह भी उल्लेखनीय है कि यह पंजीकरण पार्टी को किसी अनन्य चिन्ह को आरक्षित करने का अधिकार नहीं देता है । निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबटन) आदेश, 1968 के पैरा 12 के अधीन निर्वाचन में पार्टी द्वारा विधिवत रूप से खड़े किए गए अभ्यर्थी, मुक्त प्रतीकों के आबटन में निर्दलीय अभ्यर्थियों के ऊपर वरीयता का लाभ पाने के पात्र होंगे। तथापि, प्रतीक आदेश के पैरा 10 ख के प्रावधानों के अधीन लोक सभा या राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन में कम से कम 10% सीटों से चुनाव लड़ने वाले पंजीकृत गैर–मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी को, एक–बारगी सुविधा के रूप में, मुक्त प्रतीकों की सूची में से एक ही प्रतीक आबंटित किया जाएगा, बशर्ते कि पार्टी उक्त पैरा 10ख में उल्लिखित प्रत्येक शर्त को पूरा करती हो । यह उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रतीक की उपर्युक्त सुविधा केवल एक बार या तो लोक सभा या राज्य विधान सभा, जैसा आपकी पार्टी चाहे, में से किसी एक साधारण निर्वाचन के लिए उपलब्ध होगी ।

4. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ख और 29ग के प्रावधानों के अंतर्गत (राजनीतिक दलों को अंशदान से संबंधित), दल को एक वित्तीय वर्ष में रू0 20,000/– से अधिक प्राप्त सदान/अशदान के बारे में निवाचनों का सचालन नियम 1961 में संलग्न प्रारूप 24क में एक रिपोर्ट आयोग में प्रस्तुत करना आवश्यक है। ऐसी रिपोर्ट में दल की स्थायी खाता सख्या (PAN) का विवरण देना होता है। अतः आपको यह सलाह दी जाती है कि आप अपने दल का स्थायी खाता संख्या (PAN) प्राप्त कर आयोग को उसका विवरण दल के पंजीकरण से छः माह के भीतर सूचित कर दें।

5. आपके दल की पंजीकरण संख्या 56/161/2013/रा0द0 अनु0–1 है

6. यह भी सूचित किया जाता है कि आयोग का राजनीतिक दलों के झण्डे से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

भवदीय,

(वरिन्दर कुमार)
सचिव

फा0 सं0: 56/161/2013/रा0द0अनु0–I

तारीख: 4 मार्च, 2014

प्रतिलिपि:–

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
3. राजनैतिक दल अनुभाग – II.
4. गार्ड फाईल।

(वरिन्दर कुमार)